राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 598/10 जिला टोंक

श्रीमती कम्मो पत्नि मोहम्मद रफीक वि. राज-सरकार

उनवान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
31.05.2016	**एकल पीठ** **श्री मनोहर पुरी-सदस्य** विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । वकील व्यवसायी.......... उपस्थित अनुपस्थित । पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अप्रार्थी समय चाहते है । मिसल दिनांक 13.07.2016 ।को एकलपीठ के समक्ष कैम्प जयपुर पेश हो । निगरानी में विविध/128/14 टोंक प्रार्थना-पत्र के स्वीकार किये जाने के पश्चात् से दिनांक 10.03.2015 से प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
13.07.2016	पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित । वकील वयवहारी श्री........................ अनुपस्थित /~~उपस्थित~~ । बैंच नहीं बनने से पक्षों की अनिच्छा से पेशी बदली गई । मिसल वास्ते बहस दिनांक 8.9.16 को ~~खं.पी.~~/एस.बी. कैम्प............ के समक्ष पेश हो । रजिस्ट्रार श्री सुनील चौधरी — सदस्य	
	08/09/16 प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं-1 (State) की ओर से श्री आर० के० अजमेरा उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 से 4 की तामील हेतु उक्त प्रकार के रेस्टोरेशन पश्चात् आज तक नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। Contd. 08/09/16	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 598/2010/Tonk जिला ....

उनवान ~~श्रीमति कम्मो v State & Ors~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	Contd पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण / निगरानी दिनांक 30.04.2010 को प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने पर क्रमश: दिनांक 12.12.2011 व दिनांक 28.11.14 को प्रकरण दो बार अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर क्रमश: दिनांक 30.3.2012 व दिनांक 13.01.2015 को प्रकरण को पुन: नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 30.01.15 को प्रकरण पुन: रेस्टोर होने के पश्चात् से आज तक प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। आज भी इस समय 1:00 pm ~~पर~~ तक प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को कालान्तर पर आवाजे लगवायी लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। अत: उपर्युक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों ~~को दृष्टिगत~~ के परिपेक्ष में यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं। अत: उक्त निगरानी 598/2010/Tonk अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (signature) 08/09/16	(signature) DEA 8/9/16